

(नियम 26)

अज अदालत

500

मुकाम

बडीसादडी

किस्म मुकदमा

बुधाला

बनाम

रतनलाल

88 RFA-1

12/4/2018 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/01/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>बुधालाल पति रूप, रतनलाल बख्त</u> द्वारा अपने सही मकदमा नम्बर 88 RFA-1 पेश किया गया।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>बुधालाल पति रूप, रतनलाल बख्त</u> में <u>बुधालाल पति रूप, रतनलाल बख्त</u> द्वारा पेश की गई (प्रतिवादी)</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन तहसीलदार
बडीसादडी (राज.)

